न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर
बइजलास दिव्या RAS
वादपत्र सं. 67/2020
अनुवान कृष्णादेवी बनाम मोहनराम आदि
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188,53,92ए आर.टी.एक्ट 1955
निर्णय दिनांक 23/06/2025

कृष्णादेवी धर्मपत्नी श्री रामकिशन जाति प्रजापत (कुम्हार) निवासी रातूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू

—वादीनी

बनाम्

1. मोहनराम पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ —डिलीट किया गया
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भानीपुरा जिला चूरू राजस्थान

— प्रतिवादीगण

3. शुभकरण पुत्र खेताराम जाति कुम्हार निवासी रातूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. केशराराम पुत्र पूर्णाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी रातूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
5. रामकिशन प्रजापत पुत्र केशराराम जाति प्रजापत निवासी रातूसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
6. लालचन्द प्रजापत पुत्र केशराराम जाति प्रजापत निवासी रातूसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू

— गौण प्रतिवादीगण

उपस्थिति —

1. श्री सीताराम स्वामी एडवोकेट वास्ते वादीनी
2. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं. 2
3. श्री सांवरमल पोटलिया वास्ते प्रतिवादी सं. 3 ता 4
4. श्री मोहनलाल राईका वास्ते प्रतिवादी सं. 5 ता 6

निर्णय

वादीनी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र का विवरण इस प्रकार से है कि खेत गत ख0 नं0 353 व 353/1 रोही रातूसर दोनों चिपते खसरा नम्बर की कृषि भूमि है। जिनके नये खसरा नं0 353 का 453 व ख0 नं0 353/1 का ख0 नं0 446 बन्दोबस्त विभाग द्वारा कायम किये गये है। गत ख0 नं0 353 तादादी 29 बीघा 15 बिश्वा रोही रातूसर मूल खातेदार लादू वल्द गणेशा कौम महाजन निवासी रातूसर के नाम से थी जिसके द्वारा जरिये बैनामा दिनांक 16.03.1967 के द्वारा उक्त भूमि बस्तीराम वल्द सरदाराराम कौम कुम्हार साकिन रातूसर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। बस्तीराम के स्वर्गवास होने के बाद उनके वारिसान गंगादेवी, रणजीत, सुल्तान कुन्दनलाल, मनीराम के नाम से थी तथा गत ख0 नं0 353/01 तादादी 18 बीघा 01 बिश्वा रोही रातूसर जो भूरा वल्द किशन जाति जाट निवासी रातूसर के नाम से थी जो बाद में जरिये बैनामा दिनांक 04.03.1975 के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 मोहनराम के नाम से है। ख0 नं0 353 तादादी 29 बीघा 15 बिश्वा में से कुन्दनलाल पुत्र बस्तीराम जाति कुम्हार निवासी रातूसर द्वारा अपना 1/5 हिस्सा भूमि जरिये बैनामा

दिनांक 19.06.2012 को सुनिल कुमार पुत्र सुल्तानाराम कुम्हार निवासी करडवाल तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा कुन्दनलाल से खरीद की गई 119 बिश्वा भूमि जरिये बैनामा दिनांक 28.12.2012 को केशराराम को विक्रय कर दी तथा कुन्दनलाल ने अपनी माता गंगादेवी से प्राप्त अपना 29 बीघा 15 बिश्वा जरिये बैनामा दिनांक 05.04.2013 को गौण प्रतिवादी सं0 4 केशराराम को बेच दी। इस प्रकार गौण प्रतिवादी केसराराम को मनीराम पुत्र बस्तीराम द्वारा अपना 1/4 हिस्सा कृषि भूमि केसराराम गौण प्रतिवादी सं0 4 को जरिये बैनामा दिनांक 10.09.2012 से 148.75 बि0 इस प्रकार केशराराम के कुल 297.50 बि0 भूमि खातेदारी में आई। मनीराम रणजीत सुल्तान पुत्रगण बस्तीराम जाति कुम्हार द्वारा जरिये बैनामा दिनांक 07.03.2013 के द्वारा गौण प्रतिवादी सं0 3 शुभकरण को कुल 46.25 बिश्वा भूमि विक्रय कर दी तथा शुभकरण गौण प्रतिवादी सं0 3 से वादीनी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.05.2019 के द्वारा खरीद ली गई है इस प्रकार वादीनी वादगत कृषि भूमि ख0नं0 353 तादादी 29.15 बीघा में से 346.25 बिश्वा भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है तथा वादीनी अपना 346.25 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की अधिकारीणी है। मूल गत ख0 नं0 353 तादादी 29.15 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा गत ख0 नं0 353/1 राजस्व रिकॉर्ड में 18 बीघा 1 बिश्वा दर्ज है परन्तु राजस्व नक्शा तरमीम करते समय रकबा 29.15 बीघा का ख0 नं0 353/1 तथा रकबा 18 बीघा 1 बिश्वा का ख0 नं0 353 दर्ज कर दिया गया जो मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबा के विपरीत तरमीम कर दिया जो मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार राजस्व नक्शा दुरुस्त करना आवश्यक है। गत ख0 नं0 353 तादादी 29 बीघा 15 बिश्वा के मूल खातेदार लादू पुत्र गणेशा महाजन से लेकर वर्तमान खातेदार वादी व गौण प्रतिवादी सं0 4 केशराराम राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में दर्शित उतरी तरफ की भूमि पर काबिज है तथा उसी अनुसार लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु राजस्व नक्शा में रकबा 29 बीघा 15 बिश्वा में ख0 नं0 353/1 दर्ज कर दिया है जिसका वर्तमान ख0 नं0 453 कायम किया गया है तथा प्रतिवादी सं0 1 मोहनराम सदामत से मौके पर दक्षिणी तरफ की 18 बीघा 1 बिश्वा कृषि भूमि पर ही काबिज काश्तकार है जो राजस्व रिकॉर्ड में गलती से गत ख0 नं0 353 व वर्तमान ख0 नं0 446 अंकित कर दिया है जो गलत है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

कृषि भूमि गत ख0 नं0 353 वर्तमान ख0 नं0 453 कायम कर रकबा 4.57 हैक्टेयर दर्ज किया गया है जो कतई गलत दर्ज किया गया है। ख0 नं0 353 के बने नये ख0 नं0 453 का रकबा 7.52 हेक्टेयर दर्ज किया जाना चाहिए था तथा गत ख0 नं0 353/1 वर्तमान ख0 नं0 446 का रकबा 7.52 हैक्टेयर दर्ज किया गया है जो बिल्कुल गलत दर्ज किया गया है जबकि वर्तमान ख0 नं0 446 का रकबा 4.57 हैक्टेयर दर्ज किया जाना चाहिए था। इसलिए वर्तमान राजस्व नक्शा ख0 नं0 446 के स्थान पर ख0 नं0 453 व वर्तमान ख0 नं0 453 के स्थान पर वर्तमान ख0 नं0 446 तरमीम कर कायम किया जाना चाहिए ताकि मौके पर कब्जा काश्त व रकबा के अनुसार सही नक्शा तरमीम कर कायम किया जा सके ताकि वादीनी व प्रतिवादी सं0 1 तथा गौण प्रतिवादी सं0 3 व 4 के मध्य कोई विवाद भविष्य में नहीं रहें। वादगत कृषि भूमि गत ख0 नं0 353 व 353/1 रोही रातूसर का रिकॉर्ड में मौके पर कब्जा काश्त व रकबा के अनुसार गलत नक्शा बनाये जाने के कारण वादीनी द्वारा खरीदशुदा बैनामा दिनांक 29.05.2019 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी की हिस्सा भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वादीनी गलत बने राजस्व नक्शा

को दुरूस्त करवाकर अपनी खरीदशुदा 346.25 बिश्वा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। वादगत कृषि भूमि गत ख0 नं0 353 तादादी 29 बीघा 15 बिश्वा में से वादीनी का 346.25 हिस्सा जरिये बैनामा दिनांक 29.05.2019 के द्वारा खरीदशुदा भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाकर अलग ख0नं0 व राजस्व नक्शा अपना अलग कायम कर तरमीम करवाना चाहती है जिसकी वादीनी कानूनी रूप से अधिकारिणी है। गौण प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने यह भूमि पूर्व खातेदार कुन्दनलाल उर्फ कुनणाराम से क्रय की थी। इनके द्वारा भूमि खरीद करने से पूर्व यह विवादित भूमि गांव से चिपते ही आम रास्ता के पास स्थित गुड्डीदेवी पत्नी कुनणाराम के पट्टेशुदा भूमि के चिपते दक्षिणी दिशा में स्थित है तथा गौण प्रतिवादी सं0 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र नक्शा अभिलेख में सुधार बाबत पेश किया गया था। जिसमें मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें वादीनी की कृषिभूमि जहां क्रय की गई है वहीं स्थित है। वादीनी की कृषि भूमि गांव से चिपती स्थित होने से कीमती भूमि है। जिसमें वादीनी ने सावणी की फसल काश्त कर रखी है। इसलिए प्रतिवादी सं0 1 लालचवश वादीनी को उसकी भूमि को हड़पकर वादीनी को बेदखल करना चाहता है।

वादगत कृषि भूमि गत ख0 नं0 353 व 353/1 रोही रातूसर के बने गलत राजस्व नक्शा रिकॉर्ड का फायदा उठाकर प्रतिवादी सं0 1 वादगत कृषि भूमि को अन्य किसी दीगर शख्स को विक्रय रहन आदि कर खुर्द–बुर्द करने व वादीनी को कब्जा काश्त से बेदखल करने पर आमादा है जिसका कि उन्हें कानूनी रूप से कोई हक अधिकार हासिल नहीं है इसलिए वादीनी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो प्रतिवादी सं0 1 को जरिये डिक्री चिरस्थाई व्यादेश के पाबन्द किया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि को अन्य किसी दीगर शख्स को विक्रय रहन आदि नहीं करे तथा ना ही वादीनी को कब्जा काश्त से बेदखल करे तथा ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे अथवा करवावे जिससे वादीनी के कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़े जिसके लिए यह दावा पेश किया जा गया है। कार्यालय भू प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर द्वारा जारी पत्र क्रमांक/फर/6/समु/भूउबी /2010 दिनांक 30.10.2012 के द्वारा ख0 नं0 353 के स्थान पर 353/1 व 353/1 के स्थान पर 353 मानते हुए राजस्व अभिलेख तैयार करने का लिखा गया है तथा वादीनी द्वारा खरीदशुदा भूमि बैनामा दिनांक 29.05.2019 के आधार पर दर्ज नामान्तरण सं0 4 दिनांक 13.08.2019 को प्रक्रियाधीन लिखा गया जो नामान्तरण वादीनी के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है जिसकी वादीनी अधिकारीणी है। वादीनी ने प्रतिवादी सं0 1 को कहा एवं कहलवाया कि वो वादगत कृषि भूमि के गलत बने राजस्व रिकॉर्ड को साथ चलकर दुरूस्त करवा लेवे तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे और दिनांक 01.08.2020 को बमुकाम रातूसर में मानने से साफ इनकार हो गये लिहाजा यही इनकारी दिनांक बिनाय मुखास्मत दावा है और बिनाय दावा वादीनी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि होने से वादीनी को हर समय हासिल है।

वादीनी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि घोषित किया जावे कि कृषि भूमि गत ख0 नं0 353 तादादी 29.15 बीघा वर्तमान ख0 नं0 446 तादादी 7.52 हैक्टेयर रोही रातूसर तहसील सरदारशहर में वादीनी बैनामा दिनांक 29.05.2019 के द्वारा गौण प्रतिवादी सं0 3 से खरीदशुदा 346.25 बिश्वा कृषि भूमि की खातेदार है एवं घोषित किया जावे कि गत ख0 नं0 353 तादादी 29.15 बीघा व गत ख0 नं0 353/1 तादादी 18 बीघा 1 बिश्वा के बने गलत राजस्व नक्शा को दूरूस्त किया जाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ख0 नं0 353 के स्थान पर ख0 नं0 353/1 व

ख0 नं0 353/1 के स्थान पर ख0 नं0 353 कायम कर राजस्व नक्शा दुरूस्त किया जावे तथा वर्तमान ख0 नं0 446 के स्थान पर ख0 नं0 453 रकबा 4.57 हैक्टेयर व वर्तमान ख0 नं0 453 के स्थान पर ख0 नं0 446 रकबा 7.52 हैक्टेयर कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा तरमीम किया जावे।

वादीनी की खातेदारी की खरीदशुदा कृषि भूमि 346.25 बिश्वा वर्तमान ख0 नं0 446 में वादीनी का खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अलग ख0 नं0 व राजस्व नक्शा तरमीम कर वादीनी के नाम 346.25 बिश्वा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे तथा जरिए चिरस्थाई व्यादेश की डिक्री से प्रतिवादी सं0 1 को पाबन्द किया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि गत ख0 नं0 353 तादादी 29.15 बीघा वर्तमान ख0 नं0 446 तादादी 7.52 हैक्टेयर रोही रातूसर तहसील सरदारशहर को अन्य किसी दिगर शख्स अथवा बैंक आदि के बैय, रहन, विक्रय, दान, वसीयत आदि नहीं करे, वादीनी को उसकी कब्जा काश्त से बेदखल नहीं करे और ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे व करवाये जिससे वादीनी के विरासतन कानूनी हक व हिस्से पर विपरीत असर पड़े तथा प्रतिवादी सं0 2 को पाबन्द किया जावे कि वोह वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित विक्रय पत्र, रहननामा आदि दस्तावेज पंजीयन नहीं करे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने फर्द अहकाम पर वाद वादी स्वीकार होने का अंकन किया। प्रतिवादी सं. 2 पैरोकार राज को बार–बार अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब पैरोकार राज बन्द किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने विवादित भूमि सम्पूर्ण अपने हिस्से की प्रतिप्रतिवादी सं. 5 व 6 को विक्रय कर दी, जिस पर प्रतिवादी सं. 5 व 6 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा. दी. पेश किया। जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 को डिलीट किया गया एवं प्रतिवादी सं. 5 व 6 को बतौर पक्षकार संयोजित किया गया तथा वादीनी व प्रतिवादी सं. 3 ता 6 का राजीनामा पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से श्री सांवरमल पोटलिया ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 5 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल राईका ने वकालतनामा व राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 5 व 6 को कोई आपत्ति नहीं है। जिसे शामिल मिसल किया गया। अतः तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं हुई। पत्रावली में साक्ष्य नहीं कराना चाहते। पत्रावली वास्ते बहस मुकरर्र की गई।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वकील वादीनी ने दौराने बहस दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान दावा के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेख की ओर दिलाया और कथन किया कि कृषि भूमि गत ख0 नं0 353 तादादी 29.15 बीघा वर्तमान ख0 नं0 446 तादादी 7.52 हैक्टेयर रोही रातूसर तहसील सरदारशहर में वादीनी बैनामा दिनांक 29.05.2019 के द्वारा गौण प्रतिवादी सं0 3 से खरीदशुदा 346.25 बिश्वा कृषि भूमि की खातेदार है एवं घोषित किया जावे कि गत ख0 नं0 353 तादादी 29.15 बीघा व गत ख0 नं0 353/1 तादादी 18 बीघा 1 बिश्वा के बने गलत राजस्व नक्शा को दूरूस्त किया जाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ख0 नं0 353 के स्थान पर ख0 नं0 353/1 व ख0 नं0 353/1 के स्थान पर ख0 नं0 353 कायम कर राजस्व

नक्शा दुरूस्त किया जावे तथा वर्तमान ख0 नं0 446 के स्थान पर ख0 नं0 453 रकबा 4.57 हैक्टेयर व वर्तमान ख0 नं0 453 के स्थान पर ख0 नं0 446 रकबा 7.52 हैक्टेयर कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा तरमीम किया जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादीनी के वाद का समर्थन करते हुए दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

वकील वादीनी, वकील प्रतिवादीगण व पैरोकार राज के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वादगत कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख जमाबन्दीयों व नक्शों को अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि का नक्शा मौके के विपरित अशुद्ध है जिसे मौके के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। चूंकि दावा का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

वाद वादीनी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार भानीपुरा को यह आदेश दिया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख0 नं0 353 तादादी 29.15 बीघा व गत ख0 नं0 353/1 तादादी 18 बीघा 1 बिश्वा रोही ग्राम रातूसर तहसील भानीपुरा के बने गलत राजस्व नक्शा को दुरुस्त किया जाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ख0 नं0 353 के स्थान पर ख0 नं0 353/1 व ख0 नं0 353/1 के स्थान पर ख0 नं0 353 कायम कर राजस्व नक्शा दुरूस्त किया जावे तथा वर्तमान ख0 नं0 446 के स्थान पर ख0 नं0 453 रकबा 4.57 हैक्टेयर व वर्तमान ख0 नं0 453 के स्थान पर ख0 नं0 446 रकबा 7.52 हैक्टेयर कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा दुरुस्त करें एवं निर्णय आदेश की पालना करें। शेष प्रविष्टियां यथावत रखी जाती है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 23/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकन सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सरदारशहर व बइजलास दिव्या आर.ए.एस.

अनुवान कृष्णा देवी बनाम मोहनराम आदि

अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 92ए आर. टी. एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सीताराम स्वामी एडवोकेट मिनजानिब मुदई, पैरोकार राज, श्री सांवरमल पोटलिया, श्री मोहनलाल राईका मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वाद वादीनी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार भानीपुरा को यह आदेश दिया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख0 नं0 353 तादादी 29.15 बीघा व गत ख0 नं0 353/1 तादादी 18 बीघा 1 बिश्वा रोही ग्राम रातूसर तहसील भानीपुरा के बने गलत राजस्व नक्शा को दुरूस्त किया जाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ख0 नं0 353 के स्थान पर ख0 नं0 353/1 व ख0 नं0 353/1 के स्थान पर ख0 नं0 353 कायम कर राजस्व नक्शा दुरूस्त किया जावे तथा वर्तमान ख0 नं0 446 के स्थान पर ख0 नं0 453 रकबा 4.57 हैक्टेयर व वर्तमान ख0 नं0 453 के स्थान पर ख0 नं0 446 रकबा 7.52 हैक्टेयर कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा दुरूस्त करें एवं निर्णय आदेश की पालना करें। शेष प्रविष्टियां यथावत रखी जाती है।

....

....बीज ....

मुबलिग ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख23 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

मोहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	08	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	00	00
मुतफर्रिक	04	00			00
मिजान	14	00	मिजान	02	00